



राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2023

जयपुर, दिनांक : 30-09-2023

आज्ञा


निम्नांकित राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन राज्यहित में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किए जाते हैं:-

क्रसं	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	नवीन पद	टिप्पणी
1	श्रीमती रचना भाटिया	अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़	श्री अशोक कुमार असीजा के स्थान पर
2	श्री अशोक कुमार असीजा	राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़	अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	श्रीमती रचना भाटिया के स्थान पर
3	श्री कुशल कुमार कोठारी	उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर	अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.अ.), चित्तौड़गढ़	रिक्त पद पर
4	श्रीमती रागिनी डामोर	उप निदेशक, एच.सी.एम. रीपा, उदयपुर	अतिरिक्त निदेशक, एच.सी.एम. रीपा, उदयपुर	रिक्त पद पर
5	श्रीमती शिप्रा शर्मा	पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में	उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	रिक्त पद पर
6	श्री दीपक मेहता	सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, उदयपुर	उप निदेशक, एच.सी.एम. रीपा, उदयपुर	श्रीमती रागिनी डामोर के स्थान पर
7	सुश्री शिप्रा जैन	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर-1	उपखण्ड अधिकारी, नारायणपुर (कोटपूतली-बहरोड़)	रिक्त पद पर

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 04.08.2023 द्वारा श्री जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, उदयपुर-वृत्त को उनके पद के कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नाथद्वारा मन्दिर मण्डल), नाथद्वारा के पद का दिया गया अतिरिक्त कार्यभार आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त सभी अधिकारीगण को उनके वर्तमान पद से कार्यमुक्त करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहणकाल/अवकाश का उपयोग किये तुरन्त प्रभाव से अपने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट itcell.dop@rajasthan.gov.in पर तत्काल भेजेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अक्षय गोदारा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

- 12 कार्मिक (क-4) अनुभाग में सेवा अभिलेख संधारित किये जाने वाले सहायक अनुभागाधिकारी / लिपिक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में यदि किसी पद का वार्षिक कार्य मूल्यांकन (ACR) का चैनल निर्धारित नहीं है तो उसकी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।


संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संयुक्त शासन सचिव